FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय अधिकारी उनियारा (टोंक)

जबरूद्दीन बनाम तहसीलदार उनियारा

किस्म मुकद्दमा...प्रा0पत्र...नम्बर 123 सन्...2016

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	23-4-2018	

पत्रावली पेश हुयी प्रार्थी के वकील उप0। प्रार्थी ने प्रा0पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाता संख्या 27 ख0नं0 $\frac{69}{0-40}$, $\frac{95}{0-28}$, $\frac{277}{0-56}$, $\frac{325}{0-54}$ कुल किता 4 कुल रकबा 1-78 है। वाके ग्राम बरवास तहसील उनियारा मे स्थित है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम गलती से जहरूद्दीन पुत्र इलाई बक्स अंकित हो गया, जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम जबरूद्दीन पुत्र इलाई बक्स है, जो कि प्रार्थी के परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज आदि मे अंकित है। प्रार्थी का नाम गलत से जहरूद्दीन अंकित हो जाने से उक्त आराजी पर के.सी.सी. बनवाने व मुआवजा राशी प्राप्त करने व अन्य कार्यो मे काफी परेशानी हो रही है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे अपना नाम दुरूस्त करवाने बाबत तहसीलदार की

Scanned by CamScanner

/

से कई बार निवेदन किया, परन्तु उनके द्वारा (कोई) कार्यवाही करने की हिदायत देने से उक्त प्रा०पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 27 कुल किता 4 कुल रकबा 1.78 है बाके ग्राम बरन्धा के प्रार्थी का नाम जहरुद्दीन के स्थान पर जबरुद्दीन दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरस्त किया जावे।

उक्त प्रा० पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार उनियारा ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड व सबूत प्रस्तुत नहीं किया कि राजस्व रेकार्ड के पहले जबरुद्दीन था तथा बाद के संहवन से जहरुद्दीन हो गया। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली सं 36 पर उपलब्ध दस्तावेजात

का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी साख 2072-2075 वर्ष ग्राम बरनधन खाता संख्या 27 में जबरदीन पुत्र ईसाई बनाम दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति राशन कार्ड आधार कार्ड व फोटो पहचान पत्र में जबरुद्दीन अंकित है।

प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई पूर्व राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिसमें प्रार्थी का नाम जबरुद्दीन अंकित हो तथा इसके बाद के राजस्व रेकार्ड में जबरुद्दीन अंकित हो गया हो। प्रार्थी का प्रार्थना 136 रा. राजस्व अधिनियम के तहत नहीं बनता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना 136 रा. राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है पत्रावली फैसलशुदा होकर शामिल हो. मय हो तथा दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।